International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

बघेलखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना और स्वतंत्रता आन्दोलन में भूमिका

शोधार्थी – संजय सिंह

सारांश - देश की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए कई संगठनों गठित हुए किन्तु उनके उद्देश्य। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता की पूर्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। जिसने आगे चल कर स्वतंत्रता संघर्ष में मुख्य भूमिका निभाई। भारतीय राजनीति में सक्रिय बुद्धिजीवी वर्ग, स्थानीय और क्षेत्रीय हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने के लिए तत्पर थे। रीवा के छात्र उच्च शिखा के लिए प्रयाग, बनारस, लखनऊ आदि जिलें में जाते और वह ब्रिटिश भारत के विरुद्ध आंदोलनों में भाग लेते थे। सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधारों के कारण बघेलखंड में राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की शाखाएं प्रान्त और जिला स्तर में भी खोली गई। सन् 1931 तक कांग्रेस के करांची के बाद बघेलखंड के लिए पृथक कांग्रेस कमेटी की गठन का निर्णय लिया गया। जिसके फलस्वरूप 30 मई 1931 को कटनी के एक धर्मशाला में बघेलखंड कांग्रेस कमेटी गठित की गई। बघेलखण्ड कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में रीवा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की गई। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय कांग्रेस कमेटी के नेताओं को कैद कर कठोर यातनाएं दी गई। जिसके कारण कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बघेलखंड कमेटी के सदस्यों ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कहीं सत्याग्रह के रूप में, कहीं भूमिगत गतिविधियों के रूप में और कहीं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुले प्रतिरोध के रूप में। जिसके लिए इन्हें कठोर यातनाएँ भी दी गई।

मूलशब्द – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बघेलखंड, भारत छोड़ो आंदोलन, सामाजिक राजनीतिक प्रभाव, राष्ट्रीयता, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, रीवा बहोरा आंदोलन, स्वतंत्रता, संग्राम सेनानी आदि।

प्रस्तावना

देश की आजादी के लिए ब्रिटिश सत्ता से लंबा संघर्ष करना पड़ा। सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक देश में कई राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो चुकी थी, जिनके राजनीतिक उद्देश्य सीमित थे। भारतीय राजनीति में सक्रिय बुद्धिजीवी वर्ग, स्थानीय और क्षेत्रीय हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने के लिए तत्पर थे। जिसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता थी। जिसकी पूर्ति 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। इसकी स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ। जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू. सी. बनर्जी थे। भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक मील का पत्थर साबित हुई। भविष्य में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर कर यह ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला देगा।

शोध का उद्देश्य:-

1 बघेलखंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विस्तार को समझना।

2 बघेलखंड गाँधीवादी आन्दोलनों में भूमिका।

3 कांग्रेस कमेटी के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका और उनके बलिदान।

4 बघेलखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा सामाजिक-राजनीतिक चेतना का विकास।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रारंभ में अपनी गतिविधियाँ केवल ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों तक ही सीमित रखी। अन्य देशी रियासतों में कांग्रेस ने हस्ताक्षेप नहीं किया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक गतिशील संगठन बन गया। उन्होंने इसके संविधान में परिवर्तन कर इसे और लोकतांत्रिक जन संगठन बनाया।[1] प्रसिद्ध क्रांतिकारी वारींद्र घोष और सुशील लाहिरी ने बघेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोगों से संपर्क स्थापित कर राष्ट्रीय चेतना के जागरण का कार्य किया।[2] राष्ट्रीय आंदोलनों के मामलों में रीवा विंध्यप्रदेश की सभी रियासतों में आगे था। इलाहाबाद से निकट होने के कारण रीवा राज्य को राष्ट्रीय घटनाक्रम की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती थी।

महात्मा गांधी द्वारा सन् 1920 में अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ा गया, असहयोग आंदोलन एक क्रांतिकारी कदम था। जिसका प्रभाव समस्त देशी रियासतों पर पड़ा। आंदोलन के फलस्वरुप बघेलखंड में कांग्रेस की विचारधारा एवं कार्य पद्धति का प्रचार प्रसार हुआ। आंदोलन के प्रभाव से बघेलखंड के दक्षिण में शहडोल और पश्चिमोत्तर बरौंधा में राजनीतिक चेतना की तीव्र लहरें उठने लगी। ये लहरें क्रमशः बढ़ती हुई 20वीं सदी के तीसरे दशक तक समस्त बघेलखंड में फैल गई।[3] सन् 1920-21 में बुढ़ार में असहयोग आंदोलन के दौरान एक सेवा समिति की स्थापना की गई थी। कुंजबिहारी अग्रवाल ने एक नवयुवक टोली का गठन गांधीवादी विचारधारा से जनता को परिचय कराने के उद्देश्य से किया। उस विचारधारा को ग्रहण करने के प्रतीक के रूप में गांधी टोपी धारण करना था।[4]

बघेलखंड के नवयुवक उच्च शिक्षा प्राप्त करने प्रयाग, लखनऊ, बनारस जाते थे। जिसमें यादवेंद्र, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, पंडित शंभूनाथ शुक्ला, इंद्रबहादुर सिंह एवं दान बहादुर सिंह आदि इलाहाबाद से शिक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद में अध्ययन के दौरान इन विद्यार्थियों का संपर्क जवाहरलाल नेहरू से हुआ। वापस आकर बघेलखंड में राजनीतिक जनजागृति अभियान चलाया। ग्रामीण अंचलों में कांग्रेस एवं गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों एवं आंदोलन को आम जनता तक पहुंचाया और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एक सशक्त जनआंदोलन को तैयार किया। बघेलखंड में शिक्षित युवा वर्ग ने राजनीतिक गतिविधियों को नई गति और ऊर्जा दी।[5]

सतना जिले के बरौंधा से अक्टूबर 1921 में बहुत से व्यक्ति दशहरा का उत्सव देखने के लिए इलाहाबाद गए। जहां पर श्री मोतीलाल नेहरू व अन्य कांग्रेस नेताओं ने सब लोगों के समक्ष सभा आयोजित कर कांग्रेस संगठन पर चर्चा की। इलाहाबाद से वापस आने के बाद दुर्गाप्रसाद सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह, यशोदा नंदन, शीतल प्रसाद श्रीवास्तव आदि उसी समय से कांग्रेस के अनुयायी हो गए। रघुबंश प्रताप सिंह, चक्रपाल सिंह और कुंवर राजेन्द्र सिंह के प्रयासों से पिंडरा ग्राम में एक गुरुकुल की स्थापना सन् 1929 में की गयी। जिसका उद्देश्य बालकों और युवा वर्ग को देश कल्याण के कार्यो हेतु

[1] नेहरू ,जवाहरलाल, द डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया, पृष्ठ 360
[2] मध्यप्रदेश और गाँधीजी, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिसिटी एंड इन्फॉर्मेशन, मध्यप्रदेश शासन, वोल्यूम V, पृष्ठ 101
[3] श्रीवास्तव, अंबा प्रसाद, विंध्य क्षेत्र की स्वातंत्र्य चेतना (लेख), मध्यप्रदेश संदेश, 15 अगस्त 1987, पृष्ठ 158
[4] प्रसाद , डॉ रामायण प्रसाद, शहडोल जिला का स्वाधीनता आंदोलन, उमा प्रकाशन, भोपाल, 1985, पृष्ठ 3-4
[5] मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, खंड 5, 1984, पृष्ठ 307)

राजनीतिक अध्ययन कराना था।[6] ब्रिटिश सरकार ने जल्द ही बरौंधा के शासक गया प्रसाद सिंह को गुरुकुल को राजनीतिक संस्था घोषित करने और इसके कामकाज को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। गुरुकुल के संस्थापकों में ज्ञानचंद्र, उर्मिला देवी को गिरफ्तार कर नागौद जेल भेज दिया गया।[7]

- बघेलखंड कांग्रेस कमेटी

सन् 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के निर्णय उपरांत अजमेर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी गठित की गई। जिसे बघेलखंड में राष्ट्रीय जन जागरण फैलाने का दायित्व सौंपा गया। उसके बाद बघेलखंड क्षेत्र के प्रतिनिधि कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे। ऐसी व्यवस्था सन् 1931 तक कांग्रेस के करांची के अधिवेशन तक चलती रही। जिस अधिवेशन में कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह और राजभानु सिंह तिवारी ने भाग लिया। इसमें बघेलखंड के लिए पृथक कांग्रेस कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। जिसके फलस्वरूप 30 मई 1931 को कटनी के एक धर्मशाला में बघेलखंड कांग्रेस कमेटी गठित की गई। जिसके अध्यक्ष लाल यादवेंद्र सिंह, सचिव कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष राजभानु सिंह तिवारी बनाए गए। श्री शंभूनाथ शुक्ला कार्यकारिणी समिति के एक महत्वपूर्ण सदस्य बने।[8] इस समिति का क्षेत्राधिकार बघेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतों पर था।) रीवा में चरखा संघ वाचनालय तथा हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना इसी स्थापना की गई।

बघेलखंड कांग्रेस कमेटी ने 11 जुलाई को राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग के लिए व्यापक रूप से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। 11 जुलाई को ही कांग्रेस के प्रमुह नेता कप्तान अवधेश प्रताप सिंह और अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी से आंदोलन और तेज हो गया।[9] सरकार ने रीवा, सतना और आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी। इस कार्यवाही को आगे नागौद और सतना तक बढ़ाया। सतना की महिलाओं ने इस आंदोलन में विशिष्ट भूमिका निभाई।[10]

सरकार ने रीवा, सतना और आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी। बैकुंडपुर, सतना और नागौद में आन्दोलन किया गया। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। बैकुंठपुर में श्रीमती कृष्णा कुमारी तथा सतना में बाबूलाल की पत्नी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। भारी संख्या में लोग गिरफ्तार हुए, वस्तुतः रीवा राज्य में यह प्रथम ‘जन सत्याग्रह’ था। जिसने जनता में एक नई जागृति एवं चेतना का संचार किया। इस घटना क्रम के समय रीवा महाराज दिल्ली से वापस आकर आंदोलन के सभी नेताओं को रिहा कर दिया।।[11] चूंकि बघेलखंड जिला कांग्रेस कमेटी के लिये अजमेर बहुत दूर पड़ता था। अतः राष्ट्रपति [काँग्रेस अध्यक्ष] के आदेश पर उसकी देख-रेख एवं पथ प्रदर्शन का भार पं० जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति ने अपनी दिल्ली की 1931 की बैठक में इसको अजमेर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन से हटाकर, महकौशल कांग्रेस कमेटी से सम्बद्ध कर दिया गया।[12] बघेलखंड कांग्रेस कमेटी ने शुरुआती दौर में रीवा, सतना और निकट क्षेत्र तक ही अपना कार्य क्षेत्र सीमित रखा। लेकिन शीघ्र इसने अपनी शाखाओं की स्थापना बघेलखंड के प्रमुख कस्बों में भी की। बघेलखंड कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत 34 रियासतों को शामिल

[6] इंडिया फ्रीडम मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट 66
[7] शाहू, श्यामलाल, विन्ध्य प्रदेश के राज्यों का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, पृष्ठ 365
[8] इंडिया फ्रीडम मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट, पृष्ठ 81
[9] शाहू, श्यामलाल, विन्ध्य प्रदेश के राज्यों का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, पृष्ठ 385
[10] सतना जिला गजेटियर, 1994, पृष्ठ 65
[11] शाहू, श्यामलाल, विन्ध्य प्रदेश के राज्यों का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, पृष्ठ 385
[12] बघेलखण्ड कांग्रेस कमेटी का संक्षिप्त इतिहास, विंध्यांचल, छतरपुर, स्वतंत्रता संग्राम अंक, 1 जनवरी 1954, पृष्ठ 2

किया गया था। कांग्रेस कमेटी ने स्थापना के साथ ही बघेलखंड में कांग्रेस की सदस्यता अभियान को चलाया। इसकी नीतियों और विचारधाराओं को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। ग्रामीण अंचलों में कार्यकर्ता बनाए गए, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जनता को लामबंद करने का कार्य किया।[13]

बघेलखंड कांग्रेस कमेटी के नेताओं द्वारा कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों के प्रचार-प्रसार के कारण आम क्षेत्र की जनता का झुकाव कांग्रेस के प्रति हुआ। प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने से भी आम नागरिकों में कांग्रेस के प्रति झुकाव बढ़ा। कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए बघेलखंड जिला कांग्रेस कमेटी को 19 तहसीलों में विभाजित किया गया। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, पंडित राजभान सिंह तिवारी, लाल यादवेंद्र सिंह, पंडित शंभूनाथ शुक्ला, लाल दान बहादुर सिंह, लाल ददन सिंह और पंडित नर्मदा प्रसाद आदि ने नागौद और रीवा में कांग्रेस को संगठित करने में अपना योगदान दिया। पंडित नर्मदा प्रसाद ने अपना घर नागौद कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के लिए दान कर दिया। किंतु उनको इस कार्य के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया।[14]

कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के दक्षिण बघेलखंड के दौरे ने क्षेत्र की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत की। पंडित शम्भुनाथ शुक्ल, छोटेलाल पटेल, दान बहादुर सिंह, सरस्वती प्रसाद पटेल, वीरेंद्र बहादुर सिंह आदि कार्यकर्ताओं ने दक्षिणी क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामों का भ्रमण कर ग्रामीण स्तरों में भी कांग्रेस कमेटियां गठित कर कांग्रेसी विचारधारा को प्रचारित किया एवं रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दिया। मद्य निषेध, खादी प्रचार, अस्पृश्यता उन्मूलन, गलियों की साफ सफाई और गांधी टोपी का प्रचार किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुढ़ार में ग्रामीण अंचलों में काम करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया।[15]

सोहागपुर, बुढ़ार, शहडोल, उमरिया और ब्यौहारी के बाद कम से संपूर्ण बघेलखंड में तहसील स्तर से लेकर गांव तक प्रमुख नेताओं के कार्यक्रमों को आयोजित कर जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया जाता था। प्रत्येक तहसील और गांव में रैली निकाली जाती और राष्ट्रीय गीत का गायन होता।[16]

- बघेलखंड कांग्रेस कमेटी और सविनय अवज्ञा आंदोलन

बघेलखंड कांग्रेस कमेटी के स्थान पर शीघ्र निर्णय लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए सन् 1932 में एक 5 सदस्य कार्यसमिति (स्टैंडिंग कमेटी) का गठन किया गया। जिसमें कप्तान लाल अवधेश प्रताप सिंह, यादवेंद्र सिंह, फतेह बहादुर सिंह, राज भानु सिंह तिवारी तथा वंशपति सिंह थे।[17] दिनांक 4 फरवरी 1932 को स्टैंडिंग कमेटी ने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना और व्यवस्थापिका सभा के गठन के लिए, रीवा महाराज गुलाब सिंह को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया।

[13] प्रसाद , डॉक्टर रामायण, शहडोल जिला का स्वाधीनता आंदोलन, पृष्ठ 6

[14] प्रताप सिंह ,अवधेश: बघेलखंड जिला कांग्रेस कमेटी का संक्षिप्त इतिहास, रिपब्लिस इन विंध्यांचल छतरपुर, 1 जनवरी 1954 पृष्ठ 5

[15] प्रसाद , डॉक्टर रामायण, शहडोल जिला का स्वाधीनता आंदोलन, पृष्ठ 9-10

[16] सिंह , सी. एल., स्वाधीनता आंदोलन में शहडोल जिला का योगदान, पृष्ठ 47

[17] बघेलखंड कांग्रेस कमेटी का इतिहास, विंध्याचल, छतरपुर, स्वतंत्रता संग्राम अंक 1-1-1954, पृष्ठ 5

सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव बघेलखंड में भी पड़ा। बघेलखण्ड में आंदोलन को दबाने और कांग्रेस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए रीवा प्रशासन ने तीन ऑर्डिनेंस जारी किए। जिससे कांग्रेस संस्था व उसके अंतर्गत स्थापित सभी संस्थाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया।[18] नागौद के लिए एक ऑर्डिनेंस पृथक से जारी किया गया। ऑर्डिनेंस के द्वारा नागौद क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दमन किया गया। रीवा में 28 अप्रैल 1932 को सायंकाल चार बजे रीवा राज्य कौंसिल के उपाध्यक्ष सर कोनार्ड कोरफील्ड ने रीवा की जनता को आश्वासन दिया कि वह उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है। किन्तु उसी रात्री में 2 बजे रीवा प्रशासन ने कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के पांचों सदस्यों कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, लाल यादवेंद्र सिंह, फतेह बहादुर सिंह, राजभानु सिंह तिवारी तथा वंशपति सिंह और हिंदुस्तानी सेवादल के प्रशिक्षक पी.एन. दास तथा वामन राव बख्शी को गिरफ्तार कर लिया गया।

आंदोलन के दौरान बांधवगढ़ जेल में सर्पदंश के कारण त्योंथर क्षेत्र के ककरहा ग्राम के निवासी देवनाथ की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार केदारनाथ ग्राम बरहटा तहसील मऊगंज की औषधियों, कपड़ों व समुचित भोजन के अभाव में सन्निपात (डबल निमोनिया) होने पर कारावास में ही मृत्यु हो गई। जेल यातना के कारण मरने वालों में सर्वश्री हरिनारायण सिंह, छविनाथ सिंह (त्योंधरी), लाल पार्षद सिंह (त्योंधरी), महादेव प्रसाद (नागौद) तथा वामन राव बक्शी (सतना) थे।[19]

बघेलखण्ड क्षेत्र से भी अनेक कार्यकर्ता व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित हुए। जिन्हें सन् 1934 में धीरे धीरे छोड़ा गया।[20] सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस नेताओं के जेल से छूटने के बाद बघेलखण्ड कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन का प्रश्न उठा। चूँकि कांग्रेस कमेटी पर प्रतिबंध लगा हुआ था, इसलिए यह निश्चय किया कि पुरानी कार्य समिति ही काम करती रहे। तदानुकूल कार्यसमिति का निर्माण किया गया, जिसके सभापति लाल अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया।

- बघेलखंड कांग्रेस 1934 से 1941-42 तक

1934 में मुंबई में संपन्न अधिवेशन में विभिन्न देशी रियासतों से आए हुए प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि काग्रेस के अंतर्गत एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो कांग्रेसियों की ओर आकर्षित करते रहे। जिस पर वहां "अखिल भारतीय कांग्रेस देसी राज्य प्रजा परिषद" गठित की गई। जिसके मंत्री बघेलखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कप्तान अवधेश प्रताप सिंह तथा संयुक्त मंत्री इंदौर राज्य के त्रयंबक सदाशिव गोखले बनाए गए।[21] 2 अक्टूबर 1935 को कटनी में संपन्न बघेलखंड कांग्रेस कमेटी की बैठक में अगले कार्यक्रम पर विचार और अगली कार्यसमिति निर्वाचित की गई।[22] सन् 1939 में बघेलखण्ड कांग्रेस कमेटी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। इसी वर्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन त्रिपुरी में सम्पन्न हुआ। जिसमें बघेलखण्ड के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। इस अधिवेशन में रीवा महाराज गुलाब सिंह ने रीवा राज्य की ओर से हाथियों को भेज कर कांग्रेस के प्रति सम्मान और अपने प्रगतिशील विचारों को प्रदर्शित किया।

[18] मध्यप्रदेश और गांधीजी, मध्यप्रदेश शासन, सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय, पृष्ठ 102

[19] विंध्यक्षेत्र: कांग्रेस इतिहास के दर्पण में, (स्मारिका) 10 मार्च 1973, पृष्ठ 23

[20] मध्यप्रदेश और गांधीजी, मध्यप्रदेश सूचना एवं प्रकाशन संचालनालय, 1969, पृष्ठ 103

[21] प्रिंसली स्टेट, पृष्ठ 83

[22] शुक्ला ,डॉ. बृजगोपाल स्वतंत्रता आंदोलन, पृष्ठ 49

- बघेलखण्ड कांग्रेस कमेटी और भारत छोड़ो आंदोलन

बघेलखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का उद्भव और प्रसार भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। द्वितीय विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि, क्रिप्स मिशन की असफलता तथा ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों ने भारतीय जनता को यह अनुभव करा दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निर्णायक संघर्ष आवश्यक है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन सरकार ने भारतीय विधानमंडल के बिना परामर्श ही भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। जिसके विरोध सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने कहा कि युद्ध और शांति के प्रश्न का निर्णय भारतीय लोग करेंगे। ऐसे युद्ध का समर्थन नहीं करते जो साम्राज्यवादी नीतियों पर आधारित हो और जिसका उद्देश्य भारत या अन्य देशों में साम्राज्यवाद को दृढ़ करना हो।[23] महात्मा गांधी के नेतृत्व में दिया गया "करो या मरो" का आह्वान देश की जनता में अदम्य साहस और ऊर्जा का संचार करता है। रीवा रियासत और बघेलखंड क्षेत्र में इस आंदोलन की गूंज विशेष रूप से सुनाई दी। महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंधों में तनाव, इलाकेदारों–पवाईदारों की असंतुष्टि तथा शिक्षा और पूर्ववर्ती आंदोलनों से उत्पन्न राजनीतिक चेतना ने यहाँ की जनता को आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। 1942 में रीवा महाराज के अधिकार स्थगन और ब्रिटिश सरकार की एकपक्षीय कार्यवाही ने राज्य की जनता को गहराई से उद्वेलित किया।

परिणामस्वरूप रीवा और आसपास के क्षेत्रों में हड़तालें, जनसभाएं, प्रभात फेरियां और सांकेतिक अनशन जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। इस आंदोलन में केवल कांग्रेस या प्रमुख नेताओं की ही नहीं, बल्कि आम जनता, विद्यार्थी, किसान, महिला और समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी रही। नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद जनता ने स्वस्फूर्त रूप से आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। यह जनचेतना और आत्मबलिदान ही भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही।

युद्ध में भारतीयों से सहयोग के लिए वायसराय ने अगस्त 1940 में 'अगस्त प्रस्ताव' की घोषणा की, जिसे कांग्रेस ने असंतोषजनक कहकर ठुकरा दिया। कांग्रेस के अनुरोध पर एक बार फिर गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को चुना। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत आंदोलन शुरू किया, जिसके लिए पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू चुने गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के उद्देश्य भारतीय जनता की उग्र राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति और ब्रिटिश सरकार को एक और अवसर देना कि वह भारतीयों की मांगों को स्वीकार कर लें। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग के उदयेश से मार्च 1942 में कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सद्भाव मंडल भेजा गया। प्राय: क्रिप्स प्रस्ताव पूरी तरह से असफल रहे। क्रिप्स मिशन की विफलता ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि अब निर्णायक संघर्ष ही स्वतंत्रता दिला सकता है। 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसी समय गांधीजी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए "करो या मरो" का नारा दिया। 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसी समय गांधीजी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए "करो या मरो" का नारा दिया। भारत छोड़ो आन्दोलन सम्पूर्ण 9 अगस्त को प्रारंभ होना तय था। किन्तु 9 अगस्त को तड़के ही कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को प्रतिबंधित कर दिया गया।[24] शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण इस भारत छोड़ो आन्दोलन को संचालित

[23]गोपाल, राम, हाउ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम: अ पोलिटिकल हिस्ट्री, 1967, पृष्ठ 417

[24] चंद्रा, विपिन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2015, पृष्ठ 441 442

करने की जिम्मेदारी युवा वर्ग के हाथों में आ गई। कांग्रेस के "भारत छोड़ो" आंदोलन का आह्वान किया, तब रीवा और बघेलखण्ड में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा।

- मूल्यांकन

रीवा राज्य में बीसवीं सदी के चौथे दशक के प्रारंभ तक शैक्षणिक संस्थाओं और सुविधाओं का काफी विस्तार हो चुका था। सन् 1930 के दशक में हुए आंदोलनों के परिणामस्वरुप बघेलखंड में राजनैतिक जागरूकता बढ़ती जा रही थी। इस समय तक क्षेत्र में राजनीतिक क्षितिज में जनता के तीन पक्ष प्रथम महाराज गुलाब सिंह के पक्षधर, द्वितीय राज्य के प्रमुख वर्ग इलाकेदारों और पवाईदारों के पक्षधर और तृतीय कांग्रेस के पक्षधर बन चुके थे। रीवा महाराज गुलाब सिंह की व्यक्तिगत कार्यों और राज्य के प्रशासन एवं वित्त से संबंधित शिकायतें लगातार ब्रिटिश सरकार तक रीवा के कुछ व्यक्तियों द्वारा की जा रहीं थी। इसी समय महाराज गुलाब सिंह के पर्सनल स्टाफ के दो सदस्यों उमाशंकर और शंकर प्रसाद की कुछ संदेहात्मक हत्याएं कर दी गई थीं। इन आरोप के आधार पर 17 फरवरी 1942 को विज्ञप्ति जारी कर महाराजा गुलाब सिंह के सभी अधिकार स्थगित कर दिए और उन्हें रीवा राज्य की सीमा से बाहर रहने के लिए निर्देश दिया गया। एल. डब्ल्यू. वूल्ड्रिज को रीवा राज्य का स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया।

ब्रिटिश सरकार की एकपक्षीय कार्यवाही के विरोध में रीवावासियों ने 18 फरवरी 1942 को शहर का बाजार बंद कर दिया और विद्यार्थियों ने स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल की घोषणा कर दी। राज्य के आंतरिक क्षेत्रों तथा सिरमौर, मऊगंज, गोपद बनास, बकिया, पड़रिया, झांझर, शहडोल, जयसिंहनगर, देवसर, जैतहरी, बुढ़ार, कोतमा, अनूपपुर, उमरिया और वेंकटनगर आदि स्थानों में सार्वजनिक सभाओं में महाराज गुलाब सिंह के अधिकार स्थगित करने पर खेद व्यक्त किया गया। 16 मई 1942 को आयोजित सभा में भाषण देने पर भारत रक्षा अधिनियम के तहत लाल यादवेंद्र सिंह, पंडित शंभूनाथ शुक्ला, बांधव प्रसाद तिवारी, मुंशी हरभजन लाल, आचार्य गिरिजा प्रसाद, राम बिहारी पांडे और सेठ गणपत प्रसाद उर्फ लल्लाजी मारवाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी आपराध में कुछ दिनों के बाद श्री लक्ष्मण प्रसाद उर्फ लल्ला, रामप्रताप शुक्ल, मुंशी संपतलाल, जगदीश दर्जी और बाबू जगन्नाथ प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

बघेलखंड के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों की गिरफ्तारियों से आन्दोलन की गति कम हुई। रीवा राज्य में प्रदर्शनों एवं सार्वजनिक सभाओं में रीवा की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिनमें श्रीमती कृष्णा कुमारी, श्रीमती चम्पादेवी, श्रीमती तारादेवी मिश्रा, श्रीमती विष्णुकांत देवी तथा श्रीमती दरिभाई कायस्थ आदि प्रमुख हैं। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर संपूर्ण भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 8 अगस्त 1942 को 'करो और मरो' नारे के साथ 'अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन' की घोषणा की गई। रीवा राज्य में महाराज समर्थक और ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन पहले से ही चल रहा था। इसलिए उत्तरदायी शासन की मांग और महाराज रीवा की वापसी हेतु चलाया गया आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़कर और अधिक तीव्र हो गया। जिसने यहां के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को झकझोर दिया। रीवा एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा तत्काल विज्ञप्ति जारी कर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यूपी प्रोविसियल कांग्रेस कमेटी और बघेलखंड कांग्रेस कमेटी को गैरकानूनी घोषित कर दिया। बघेलखंड कांग्रेस कमेटी के रीवा कार्यालय को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। रीवा प्रशासन द्वारा आंदोलन के दौरान लालमर्दन सिंह और राजमणि प्रसाद, वरिष्ठ नेता राजभानु सिंह तिवारी, अवध बिहारी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। रीवा प्रशासन द्वारा क्षेत्र में आंदोलनरत अनेक

कार्यकर्ताओं जैसे लाल कमलेश्वर सिंह, महावीर प्रसाद भट्ट, सुदर्शन प्रसाद दुबे, श्रीमती विष्णुकांता देवी उर्फ ऊषादेवी, श्रीमती राजकुमारी देवी, गया प्रसाद बख़्शी, पंडित भैरवदीन मिश्र और लाल कृष्णपाल सिंह बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया।

स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक संघर्ष के चौथे दिन 12 अगस्त को इलाहाबाद में आगा खां के द्वारा गोली मारने पर कृपालपुर (सतना) निवासी लाल पद्मधर सिंह शहीद हो गए। जिसकी सूचना 13 अगस्त 1942 को रीवा पहुंची। घटना के बाद सभी संस्थानों के छात्र हड़ताल पर चले गए और जुलूस निकाले। शहडोल, उमरिया और सतना के छात्रों ने भी हड़ताल की। बघेलखंड के दक्षिणी भाग में दक्षिण में स्थित क्षेत्र बुढ़ार में लाल पद्मधर सिंह की शहादत की सूचना 14 अगस्त की शाम तक पहुंची। योजनानुसार छोटेलाल पटेल, शिवप्रसाद सिंह के साथ बुढ़ार मजिस्ट्रेट के न्यायालय पहुंचे। छोटेलाल पटेल मजिस्ट्रेट की कुर्सी में बैठ कर घोषणा की कि 'आज से भारत स्वतंत्र हो चुका है'। इस घटना के बाद छोटेलाल पटेल और शिवप्रसाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

शहडोल जिले में क्रांतिकारी घटनाएं होती रही। बुढ़ार न्यायलय भवन में चढ़कर झंडा फहराया। उमरिया के लकरगवाँ नामक स्थान पर रेल की पटरियों को उखाड़ फेंका गया। रीवा का डाक घर जला दिया गया और टेलीफोन के तार काट दिए गए गए। रीवा प्रशासन कार्यालय में यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा झण्डा फहराया गया। इसी प्रकार सितम्बर में मार्तंड एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक कुंवर सूर्यबली सिंह को क्रांतिकारी छात्रों को गुप्त निर्देश देते थे। जिसके कारण कुंवर सूर्यबली सिंह और उनके छोटे भाई अविनाश चंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके विरोध में धारा 144 लागू कर दी और लाठीचार्ज की परवाह ना करते हुए मनमोहक नारों के साथ यहां के विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाला। इसी दिन प्रकाश पत्र के संपादक ठाकुर अर्जुन सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 1942 में वारफंड के लिए चंदा एकत्रित करने के उद्देश्य से आयोजित सभाओं को बघेलखंड में आंदोलनकारियों ने भंग किया। वारफंड की सभा को भंग करने के आरोप में कई गिरफ्तारियां हुई और मानसिक यातनाएं दी गई। जिसके विरोध में पंडित शंभूनाथ शुक्ला, सरस्वती प्रसाद पटेल, यादवेंद्र सिंह, महावीर सिंह, छोटेलाल पटेल, तेज प्रताप सिंह तथा गिरिजा प्रसाद ने अक्टूबर 1942 में कारागार में अनशन किया। इसके इसके अतिरिक्त कई व्यक्ति जिनकी गिरफ्तारी अलग-अलग जगह हुई थी। जैसे सतना के सर्वश्री शिवानंद, शहडोल के चंद्रकांत शुक्ला, पुरुषोत्तम मिश्रा, तेजप्रताप सिंह, तेजभान सिंह, दर्शन सिंह, दिनेश सिंह, बाबूलाल सिंह, रामबिहारी सिंह, निरंजन सिंह, हरगोविंद सिंह, मदन सिंह, अवधराज सिंह, इंद्रभान सिंह, हाफिज फैजान खां, अमरजीत सिंह, निर्भयनाथ, नैना सिंह, हाकिम सिंह, बलवंत सिंह और जवाहर सिंह थे।[25]

1942 में रीवा के कई विद्यार्थियों जिनकी संख्या लगभग 51 थी। भारत रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। जिसमें श्री कृष्णपाल सिंह शहडोल, शिवेंद्र सिंह तिवारी, गुरुरतन सिंह, चंद्रकांत शुक्ला, सूर्यप्रसाद सिंह तिवारी, वीरेंद्र सिंह, दिन्ना खां, राघवेंद्र सिंह तिवारी, शिवप्रसन्न सिंह, हनुमान प्रसाद, कुंजबिहारी ओझा, श्रीनिवास खरे, चंद्रकांत सिंह, ओंकारनाथ खरे, हीरालाल, दीनदयाल आदि थे। उसे समय विद्यार्थियों का कार्य रेल की पटरियों को उखाड़ना, तार के खंभे नष्ट करना आदि थे। जिससे कि अंग्रेजों की फौज को आने जाने में कठिनाई हो। देशी बम बनाकर रीवा के रिकॉर्ड रूप में आग लगाई गई। सतना में भी सरकारी संपत्ति को नष्ट किया गया।

[25] रीवा तब अउर अब, पृष्ठ 131

रीवा और शहडोल में आंदोलन उग्ररूप में था। सीधी जिले में आंदोलन नहीं हुआ। सीधी के कुछ लोग रीवा में आकर आंदोलन में शामिल हुए। सीधी जिला सामंती जाल में हमेशा से जकड़ा था। कॉलेज और स्कूल अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिए गए। छात्र जो बोर्डिंग में रह रहे थे, उन्हें 24 घंटे के अंदर खाली करने का आदेश दिया गया। बहुत से आंदोलनकारी पहले ही बोर्डिंग से निकल गए थे। ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थी बोर्डिंग खाली कर वापस अपने-अपने गांव की तरफ चले गए। क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नेता विहीन लड़ा गया। यह स्वतंत्रता संग्राम भूमिगत देशभक्त और जुझारू विद्यार्थियों द्वारा लड़ा गया।

- निष्कर्ष

बघेलखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का उद्भव और प्रसार भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। द्वितीय विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि, क्रिप्स मिशन की असफलता तथा ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों ने भारतीय जनता को यह अनुभव करा दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निर्णायक संघर्ष आवश्यक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में दिया गया "करो या मरो" का आह्वान देश की जनता में अदम्य साहस और ऊर्जा का संचार करता है। रीवा रियासत और बघेलखंड क्षेत्र में इस आंदोलन की गूंज विशेष रूप से सुनाई दी। महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंधों में तनाव, इलाकेदारों–पवाईदारों की असंतुष्टि तथा शिक्षा और पूर्ववर्ती आंदोलनों से उत्पन्न राजनीतिक चेतना ने यहाँ की जनता को आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। 1942 में रीवा महाराज के अधिकार स्थगन और ब्रिटिश सरकार की एकपक्षीय कार्यवाही ने राज्य की जनता को गहराई से उद्वेलित किया। परिणामस्वरूप रीवा और आसपास के क्षेत्रों में हड़तालें, जनसभाएं, प्रभात फेरियां और सांकेतिक अनशन जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। इस आंदोलन में केवल कांग्रेस या प्रमुख नेताओं की ही नहीं, बल्कि आम जनता, विद्यार्थी, किसान, महिला और समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी रही। नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद जनता ने स्वस्फूर्त रूप से आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। यह जनचेतना और आत्मबलिदान ही भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही।

अतः यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि बघेलखंड में भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और स्थानीय समाज-राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इस आंदोलन ने जनता को यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसके लिए संघर्ष करना आवश्यक है। यही जनआंदोलन आगे चलकर भारत की आज़ादी का आधार बना ।

- **संदर्भ सूची**

1. नेहरू ,जवाहरलाल, द डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया, पृष्ठ 360 अथवा इंडिया फ्रीडम मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट, पृष्ठ 64
2. मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, खंड 5, 1984, पृष्ठ 192
3. श्रीवास्तव, अंबा प्रसाद, विंध्य क्षेत्र की स्वातंत्र्य चेतना (लेख), मध्यप्रदेश संदेश, 15 अगस्त 1987, पृष्ठ 158
4. प्रसाद , डॉ रामायण प्रसाद, शहडोल जिला का स्वाधीनता आंदोलन, उमा प्रकाशन, भोपाल, 1985, पृष्ठ 3-4
5. मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, खंड 5, 1984, पृष्ठ 307
6. मध्यप्रदेश और गाँधीजी, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिसिटी एंड इन्फॉर्मेशन, मध्यप्रदेश शासन वॉल्यूम V, पृष्ठ 109
7. शाहू, श्यामलाल, विन्ध्य प्रदेश के राज्यों का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, पृष्ठ 365
8. इंडिया फ्रीडम मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट, पृष्ठ 81
9. शाहू, श्यामलाल, विन्ध्य प्रदेश के राज्यों का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, पृष्ठ 384
10. सतना जिला गजेटियर, 1994, पृष्ठ 65
11. शाहू, श्यामलाल, विन्ध्य प्रदेश के राज्यों का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, पृष्ठ 385
12. समाजवादी आंदोलन, बघेलखण्ड कांग्रेस कमेटी का संक्षिप्त इतिहास, विंध्यांचल, छतरपुर, स्वतंत्रता संग्राम अंक,1 जनवरी 1954, पृष्ठ 2
13. प्रसाद, डॉक्टर रामायण, शहडोल जिला का स्वाधीनता आंदोलन, पृष्ठ 6
14. प्रताप सिंह ,अवधेश: बघेलखंड जिला कांग्रेस कमेटी का संक्षिप्त इतिहास, रिपब्लिस इन विंध्यांचल छतरपुर, 1 जनवरी 1954 पृष्ठ 5
15. प्रसाद , डॉक्टर रामायण, शहडोल जिला का स्वाधीनता आंदोलन, पृष्ठ 9-10
16. सिंह , सी. एल., स्वाधीनता आंदोलन में शहडोल जिला का योगदान, पृष्ठ 47
17. बघेलखंड कांग्रेस कमेटी का इतिहास, विंध्याचल, छतरपुर, स्वतंत्रता संग्राम अंक 1-1-1954, पृष्ठ 5
18. मध्यप्रदेश और गांधीजी, मध्यप्रदेश शासन, सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय, पृष्ठ 102
19. विंध्यक्षेत्र: कांग्रेस इतिहास के दर्पण में, (स्मारिका) 10 मार्च 1973, पृष्ठ 23
20. मध्यप्रदेश और गांधीजी, मध्यप्रदेश सूचना एवं प्रकाशन संचालनालय, 1969, पृष्ठ 103
21. शुक्ला ,डॉ. बृजगोपाल स्वतंत्रता आंदोलन, पृष्ठ 49
22. गोपाल, राम, हाउ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम: अ पोलिटिकल हिस्ट्री, 1967, पृष्ठ 417
23. चंद्रा , विपिन , भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2015, पृष्ठ 441 44